



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1319]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 29, 2019/चैत्र 8, 1941

No. 1319]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 29, 2019/CHAITRA 8, 1941

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2019

का.आ. 1490(अ).—केन्द्रीय सरकार, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 21 के साथ पठित विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 23 मार्च, 2019 में का.आ. सं. 1419(अ), तारीख 23 मार्च, 2019 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार की अधिसूचना को, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे विखंडन से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, विखंडित करती है।

[फा. सं. 14017/15/2019-एनआई-III]

एस. सी. एल. दास, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 2019

S.O. 1490(E).—In exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 5 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 23rd March, 2019, *vide*, number S.O. 1419(E), dated the 23rd March, 2019, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. 14017/15/2019-NI-III]

S. C. L. DAS, Jt. Secy.